



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-47

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 259977 दिनांक 08/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Manoj Sharma S/o Keshav Dutt Sharma	श्री के.डी शर्मा पुत्र श्री बी.डी. शर्मा	153	261.28 SQ. YARD	Private	BANK COLONY Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed)   Original Lease Deed (Patta)	उक्त प्रकरण में फ्री-होल्ड लीजडीड श्री के.डी शर्मा पुत्र श्री बी.डी. शर्मा के पक्ष में जारी की गई है। जो आज दिनांक तक रजिस्टर्ड नहीं करवाई गई है। श्री के.डी. शर्मा का मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री मनोज शर्मा द्वारा भूखण्ड की फ्री-होल्ड लीजडीड एवं नाम हस्तान्तरण बाबत आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा सजरा, पंजीकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरण में सर्वप्रथम आम सूचना का प्रकाशन करवाया जाना अपेक्षित है।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Manoj Sharma S/o Keshav Dutt Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |